

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि.प्रा. (II) नया पो. सं.-03/2006-

/पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक), बिहार
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – नालन्दा जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां (नालन्दा) के भवनों के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रु. 1851.809 लाख (अठारह करोड़ एकावन लाख अस्सी हजार नौ सौ रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रु. 2550.75 लाख (पच्चीस करोड़ पचास लाख पचहतर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नालन्दा जिला के अस्थावां में विभागीय राज्यादेश संख्या-2231, दिनांक 29.10.2007 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक अस्थावां की स्थापना की स्वीकृति एवं संस्थान में भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रु. 1851.809 लाख (अठारह करोड़ एकावन लाख अस्सी हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2897(भ) अनु. दिनांक 06.04.2017 के आलोक में नालन्दा जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां (नालन्दा) के भवनों के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रु. 1851.809 लाख (अठारह करोड़ एकावन लाख अस्सी हजार नौ सौ रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रु. 2550.75 लाख (पच्चीस करोड़ पचास लाख पचहतर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त स्वीकृत राशि राज्य स्कीम बजट के “मुख्यशीर्ष-4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष-051–निर्माण, मांग संख्या-3, उपशीर्ष-0117– इंजीनियरिंग /तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनों (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)” के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-4059800510117 है।

4. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ को प्रदान किया जायेगा।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता, नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ होंगे।

6. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, नालन्दा (बिहारशरीफ) से की जायेगी।

7. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 27.03.2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-04 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा. (II) नया पो. सं.-03/2006-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा. (II) नया पो. सं.-03/2006-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, बिहारशरीफ (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा. (II) नया पो. सं.-03/2006-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 27.03.2018 में मद संख्या- 04 में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा. (II) नया पो. सं.-03/2006-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (निरूपण)/मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा. (II) नया पो. सं.-03/2006-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा. (II) नया पो. सं.-03/2006-

832 /पटना, दिनांक- 28-03-2018

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/उप निदेशक (क.)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.18

सरकार के उप सचिव

28/03/18